क्रमांक 42130504
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल–462003
दूरभाष 2552646,2552878 फैक्स 2552406,
Email ID-cao.eincwrdbpl@ gmail.com

भोपाल, दिनांक 09 / 02 / 2021

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री,

....

जल संसाधन संभाग,

.... (म0प्र0)

विषय :– म0प्र0 कोषालय संहिता के सहायक नियम 158 द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही पूर्वक कार्य करने के संबंध में ।

विषयान्तर्गत आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के पत्र क्रमांक 136/2021/DTA, नि0ले0 भोपाल, दिनांक 28.01.2021 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र मे उल्लेखित अनियमितता एवं त्रुटियों के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करें एवं भविष्य में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों का सावधानी पूर्वक निर्वहन करें ।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

(शिरीष मिश्रा) 6/2/21
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल.

पृष्ठांकन क्रमांक 42130504
भोपाल, दिनांक 09 / 02 / 2021

प्रतिलिपि :–

(1) आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, पंचम तल खण्ड ''अ'' भोपाल (म0प्र0)
(2) मुख्य अभियन्ता, ... भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित है ।
(3) वेब मेनेजर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग भोपाल मध्य प्रदेश की ओर विभागीय वेबसाईड पर पत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

(शिरीष मिश्रा) 6/2/21
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल.

''कुशवाहा''

File No.DTA/13/1/0035/2020-REC-DIS-DTA

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा

पर्यावास भवन, पंचम तल खण्ड 'अ' भोपाल

क्रमांक: 136/2021/DTA नि.के.	भोपाल, दिनांक 28/01/2021

प्रति,

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन संभाग
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय:- म.प्र. कोषालय संहिता के सहायक नियम 158 द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही पूर्वक कार्य करने के संबंध में।

---000---

विषयांतर्गत लेख है, कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 में विभिन्न कर्तव्य एवं बरती जाने वाली सावधानियां उल्लेखित की गई है। परीक्षण में यह पाया गया कि:-

1. आपके अंतर्गत आने वाले <u>डीडीओ कोड 4905803001 कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग संभाग अलीराजपुर</u> द्वारा नवम्बर 2018 की स्थिति में, विभिन्न वर्क आई.डी. में सिक योरिटी डिपॉजिट/वर्क्स डिपॉजिट/ में जमा राशियों, व्यय एवं शेष राशियों की जानकारी को, आपके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, अद्यतन किया गया एवं जून/जूलाई 2020 का लेखा का मिलान कर, प्रमाणित किया गया कि लेखों में कोई विसंगति नहीं है। परंतु अब यह ज्ञात हुआ है कि जमा किए गए चालानों की सही जानकारी के बिना ही राशियां अद्यतन की गई है।
2. आपके अंतर्गत आने वाले डीडीओ जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	डीडीओ कोड	कार्यालय का नाम
1	0103102003	कार्यालय जल संसाधन विभाग बालाघाट
2	0103102004	कार्यालय जल संसाधन विभाग बालाघाट
3	0113102011	कार्यालय जल संसाधन विभाग बंजर नदी परियोजना बेहर
4	0433102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग लहार शाखा नहर संभाग लहार
5	0523102025	कार्यालय जल संसाधन विभाग भोपाल
6	0523102026	कार्यालय जल संसाधन विभाग मशीनरी भोपाल
7	0603102037	कार्यालय जल संसाधन विभाग छतरपुर
8	0703102012	कार्यालय जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा
9	0803102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग दमोह
10	1003102007	कार्यालय जल संसाधन विभाग देवास
11	1103102034	कार्यालय जल संसाधन विभाग एल. एम. गेट धार
12	1103102036	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 धार
13	1153102008	कार्यालय जल संसाधन विभाग मनावर

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)
01 FEB 2021
कक्ष ....

C.E.(I.S.)		S.E.(A)
C.E.-(N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)		E.E.(V)
C.E.(Major)		E.E.(B) ✓
C.E.(W)	Sr.P.A.	S.A.(EDP)

E-N.C

14	1203102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग डिंडौरी
15	1303102002	कार्यालय जल संसाधन विभाग गुना
16	1363102038	कार्यालय जल संसाधन विभाग राघोगढ़
17	1413102038	कार्यालय जल संसाधन विभाग मेकेनिकल खण्ड संभाग ग्वालियर
18	1503102010	कार्यालय जल संसाधन विभाग हण्डिया शाखा नहर संभाग तिमारनी
19	1653102010	कार्यालय जल संसाधन विभाग तवा नहर संभाग सिवनी मालवा
20	1663102007	कार्यालय जल संसाधन विभाग सोहागपुर
21	1713102002	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग इंदौर
22	1803102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग जबलपुर
23	1803102008	कार्यालय जल संसाधन विभाग जबलपुर
24	1903102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 झाबुआ
25	2003102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग कटनी
26	2303102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग मण्डला
27	2403102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग मंदसौर
28	2503102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग मुरैना
29	2503102013	कार्यालय जल संसाधन विभाग जौरा जिला मुरैना
30	2703102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग नीमच
31	2903102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग रायसेन
32	2903102028	कार्यालय जल संसाधन विभाग बरना बारी शाखा रायसेन
33	3003102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग राजगढ़
34	3003102023	कार्यालय जल संसाधन विभाग नरसिंहगढ़, राजगढ़
35	3103102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग रतलाम
36	3203102009	कार्यालय जल संसाधन विभाग रीवा
37	3303102002	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सागर
38	3303102003	कार्यालय जल संसाधन विभाग सागर
39	3303102031	कार्यालय जल संसाधन विभाग सागर
40	3403102002	कार्यालय जल संसाधन विभाग सतना
41	3503102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग सिहोर
42	3603102006	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी
43	3603102036	कार्यालय जल संसाधन विभाग केवलारी
44	3703102003	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 शहडोल
45	3903102007	कार्यालय जल संसाधन विभाग मडीखेड़ा डेम शिवपुरी
46	4003102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग श्योपुर

File No.DTA/13/1/0035/2020-REC-DIS-DTA

47	4203102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग टीकमगढ़
48	4603102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग अनुपपुर
49	4703102010	कार्यालय जल संसाधन विभाग अशोकनगर
50	4803102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग बुरहानपुर
51	4903102001 .	कार्यालय जल संसाधन विभाग अलीराजपुर
52	5003102005	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सिंगरौली
53	0303102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग बैतूल
54	0903102010	कार्यालय जल संसाधन विभाग दतिया
55	1413102005	कार्यालय जल संसाधन विभाग मेकेनिकल खण्ड ग्वालियर
56	1503102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग हरदा
57	1603102011	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 होशंगाबाद
58	3203102030	कार्यालय जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 3 रीवा
59	3403102023	कार्यालय जल संसाधन विभाग पूर्वा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना
60	3803102001	कार्यालय जल संसाधन विभाग शाजापुर
61	4513102002	कार्यालय जल संसाधन विभाग संजय सागर परियोजना संभाग बासौदा

द्वारा लेखा मिलान के 10 माह बाद यह अवगत कराया गया है कि कुछ वर्क आई.डी. को त्रुटिवश पूर्ण फ्लेग किया गया और उसे incomplete करने का लेख किया गया है। यदि उक्त आई.डी. कम्प्लीट नहीं थी तब भी लेखे का मिलान किया गया जिससे स्पष्ट है कि लापरवाही पूर्वक केवल लेखा मिलान के लिए, वर्क्स आई.डी. को पूर्ण फ्लेग किया गया।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, भाग -1 के नियम -12 अनुसार, आपकी अनुशंसा पर कार्यपालन यंत्री को आहरण एवं संवितरण के अधिकार दिये गये है मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग -2 के सहायक नियम 158 में, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जबावदारी को उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त त्रुटि से ये परिलक्षित होता है कि संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा, आहरण एवं संवितरण के दायित्व का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया है, जिस कारण से संबंधित प्रकरण में अनावश्यक विलंब हुआ है।

आप अवगत होंगे कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग -2 के सहायक नियम 73 (3) अनुसार, गम्भीर अनियमितताओं/ त्रुटिओं की पुनरावृत्ति करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आहरण एवं संवितरण अधिकार, आयुक्त कोष एवं लेखा की सलाह पर समाप्त किये जा सकते है।

अत: त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी का निर्धारण करने एवं आहरण संवितरण अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि भविष्य में DDO के दायित्वों का सावधानी पूर्वक निर्वहन करें।

संचालक